हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 28 अगस्त, 2025

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक / 1-127 / 2025.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 11) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / – सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

2025 का विधेयक संख्यांक 11.

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्ड:

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
- 2. धारा 2 का संशोधन।
- 3. धारा 12 का संशोधन।
- 4. धारा 13 का संशोधन।
- 5. धारा 17 का संशोधन।
- 6. धारा २० का संशोधन।
- 7. धारा ३४ का संशोधन।
- धारा 38 का संशोधन।
- 9. धारा ३९ का संशोधन।
- 10. धारा 107 का संशोधन।
- 11. धारा 112 का संशोधन।
- 12. धारा 122ख का अंतःस्थापन।
- 13. धारा 148क का अंतःस्थापन।
- 14. अनुसूची 3 का संशोधन।
- 15. संग्रहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं।
- 16. 2025 का अधिनियम संख्यांक 33 की धारा 37 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.——(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025 है।
- (2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जैसी सरकार राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
- 2. धारा 2 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2 में,—
 - (i) खण्ड (61) में,''धारा 9 की उप—धारा (3) या उप—धारा (4) के अधीन'' शब्द, अंक और कोष्टक के स्थान पर ''इस अधिनियम की धारा 9 की उप—धारा (3) या उप—धारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप—धारा (3) या उप—धारा (4) के अधीन'' शब्द, अंक और कोष्टक प्रथम अप्रैल, 2025 से अन्तःस्थापित किए गए समझे जाएंगे।
 - (ii) खण्ड (69) में,-
 - (क) उप—खण्ड (ग) ''नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियन्त्रण या प्रबन्ध'' शब्दों के स्थान पर, ''नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि के नियन्त्रण या प्रबन्ध'' शब्द रखे जाएंगे:
 - (ख) उप—खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण.—इस उप—खंड के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) ''स्थानीय निधि'' से किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने के लिए, शिक्तयों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियन्त्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है;
- (ख) ''नगरपालिका निधि'' से किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियन्त्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है;'';

(iii) खंड (116) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(116क) "विशिष्ट पहचान चिन्हांकन" से धारा 148क की उप—धारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिन्हांकन अभिप्रेत है और जिसमें डिजिटल मुहर, डिजिटल चिन्ह या अन्य उसी प्रकार का चिन्हांकन, जो विशिष्ट सुरक्षित और न हटाया जा सकने योग्य हो, भी सम्मिलित है:"।

- 3. धारा 12 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) का लोप किया जाएगा।
- 4. धारा 13 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) का लोप किया जाएगा।
- 5. धारा 17 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (5) के खंड (घ) में,–
 - (i) ''संयंत्र या मशीनरी'' शब्दों के स्थान पर, ''संयंत्र और मशीनरी'' शब्द रखे जाएंगे और इन्हें 1 जुलाई, 2017 से रखा हुआ समझा जाएगा;
 - (ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

'स्पष्टीकरण 2—खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, ''संयंत्र या मशीनरी'' के किसी प्रतिनिर्देश का अर्थ लगाया जाएगा तथा ''संयंत्र और मशीनरी'' के प्रतिनिर्देश के रूप में सदैव अर्थ लगाया गया समझा जाएगा।"।

- 6. **धारा 20 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 20 में, 1 अप्रैल, 2025 से,—
 - (i) उप—धारा (1) में, ''धारा 9 की उप—धारा (3) या उप—धारा (4) के अधीन'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''इस अधिनियम की धारा 9 की उप—धारा (3) या उप—धारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप—धारा (3) या उप—धारा (4) के अधीन'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;
- 7. धारा 34 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 34 की उप–धारा (2) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि—

- (i) जहां ऐसा प्राप्तकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहां इनपुट कर प्रत्यय को ऐसे किसी जमापत्र के कारण से हुआ माना जा सकता है, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसे वापस नहीं किया गया है. या
- (ii) अन्य मामलों में, ऐसी प्रदाय पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रामण कर दिया गया है।''।
- 8. **धारा 38 का संशोधन.—**मूल अधिनियम की धारा 38 में,——

- (i) उप—धारा (1) में "स्वतः जनित विवरण" शब्दों के स्थान पर, "कोई विवरण" शब्द रखें जाएंगे ;
- (ii) उप-धारा (2) में,-
 - (क) ''के अधीन स्वतः जनित विवरण'' शब्दों के स्थान पर, ''में निर्दिष्ट विवरण'' शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) खंड (क) में, ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा;
 - (ग) खंड (ख) में ''उक्त प्रदायों के ब्यौरे'' शब्दों के पश्चात् ''सिहत'' शब्द रखा जाएगा;
 - (घ) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--
 - "(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं।"।
- 9. धारा 39 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप—धारा (1) में, "रीति में तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए" शब्दों के स्थान पर, "रीति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं" शब्द रखे जांएगे।
- **10. धारा 107 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 107 की उप—धारा (6) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्ः—

"परन्तु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो।"।

11. धारा 112 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) के अंत में "।" चिन्ह के पश्चात् ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वतिल किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलीर्थी द्वारा धारा 107 की उप—धारा (6) के परंतुक के अधीन संदेय रकम के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो।"।

12. धारा 122ख का अन्तःस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 122क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः—

"122ख. खोज और अनुसरण की क्रियाविधि के अनुपालन में असफल होने पर शास्ति—122ख. ——इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अधिनियम की धारा 148क की उप—धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कृत्य करता है, तो वह अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त ऐसे माल पर संदेय कर के एक लाख रुपए की रकम के समतुल्य या उसकी दस प्रतिशत रमक, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा।"।

13. धारा 148क का अन्तःस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 148 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

"148क कतिपय मामलों के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि.— (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,—

- (क) माल;
- (ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो ऐसे माल को रखता है या उसमें व्यवहार करता है, को, जिन्हें इस धारा के उपबंध लागू होंगे, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
- (2) सरकार, उप-धारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के सम्बंध में,-
 - (क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जो विहित किए जाएं, विशिष्ट पहचान चिन्हांकन चिपकाने में तथा इलैक्ट्रॉनिक भंडारण और उसमें अतर्विष्ट सूचना तक पंहुच को समर्थ बनाने के लिए, किसी प्रणाली का उपबंध कर सकेगी;
 - (ख) ऐसे माल के लिए किसी विशिष्ट पहचान चिन्हांकन को विर्निदिष्ट कर सकेगी, जिसके अंतर्गत उसमें अभिलिखित की जाने वाली जानकारी भी है।
 - (3) उप-धारा (1) में विर्निदिष्ट व्यक्ति,-
 - (क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति में, कोई विशिष्ट पहचान चिन्हांकन चिपकाएगा;
 - (ख) ऐसे समय के भीतर, ऐसी जानकारी और ब्यौरे प्रस्तुत करेगा, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे अभिलेख या दस्तावेज रखेगा;
 - (ग) ऐसे माल, जिसके अंतर्गत पहचान, क्षमता, प्रचालन की अवधि और अन्य ब्यौरे या सूचना भी सम्मिलित है, के विनिर्माण के कारबार के स्थान में संस्थापित मशीनरी के ब्यौरे ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा:
 - (घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में, ऐसी रकम का संदाय करेगा; जो विहित की जाए।"

14. अनुसूची 3 का संशोधन.—मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,—

- (i) पैरा 8 के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और इसे 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात्:—
 - ''(कक) किसी व्यक्ति को या घरेलू टैरिफ क्षेत्र को निर्यात के लिए निकासी के पूर्व विशेष आर्थिक जोन में या किसी मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र में भंडागार में रखे गए माल की पूर्ति;'';
- (ii) स्पष्टीकरण 2 में, ''पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए'' शब्दों और अंक के स्थान पर, ''पैरा 8 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए'' ''शब्द, अंक और कोष्टक 1 जुलाई, 2017 से रखे हुए समझे जाएंगे;
- (iii) स्पष्टीकरण २ के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और इसे 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात्:—

''स्पष्टीकरण 3.—पैरा 8 के खंड (कक) के प्रयोजनों के लिए, ''विशेष आर्थिक जोन'' ''मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र'' पदों के वही अर्थ होंगे, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 में उनके हैं।''।

- 15. संग्रहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं.—सभी ऐसे करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संग्रहीत किए गए हैं किंतु जो इस प्रकार संग्रहीत नहीं किए गए होते, यदि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम की धारा 14 सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त हुई होती।
- 16. 2025 का अधिनियम संख्यांक 33 की धारा 37 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 37 में ''धारा 114'' शब्द और अंक के स्थान पर, ''हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 6'' शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवा या दोनों के राज्यिन्त्रिक प्रदाय पर कर के किसी उद्ग्रहण और संग्रहण तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की तर्ज पर उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया था माल और सेवा कर अधिनियम केन्द्रीय और राज्य स्तर पर लगभग समस्त अप्रत्यक्ष करों को समाविष्ट करते हुए 'एक राष्ट्र, एक कर' दृष्टिकोण सिहत अपनी तरह का प्रथम ऐतिहासिक कर सुधार है। केन्द्रीय सरकार ने पहले ही माल और सेवा कर परिषद् (जी एस टी काँसिल) की सिफारिशों पर केन्द्रीय माल और सेवा कर का अधिनियम, 2017 में संशोधन कार्यान्वित कर दिया है। इसलिए सम्पूर्ण देश में समान सुधार करने के आशय से राज्य अधिनियम में तत्स्थानी संशोधन कार्यान्वित करना समस्त राज्यों के लिए आज्ञापक है। अतः सम्पूर्ण देश में एकरूपता लाने के आशय से हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन करना समीचीन हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर		
	मुख्य	मन्त्री ।

शिमलाः		
तारीखः,	2025	

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किए जाएंगे और इससे कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 11 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (2nd AMENDMENT) BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

- 1. Short title and commencement.
- 2. Amendment of section 2.
- 3. Amendment of section 12.
- 4. Amendment of section 13.
- 5. Amendment of section 17.
- 6. Amendment of section 20.
- 7. Amendment of section 34.
- 8. Amendment of section 38.
- 9. Amendment of section 39.
- 10. Amendment of section 107.
- 11. Amendment of section 112.
- 12. Insertion of section 122B.
- 13. Insertion of section 148A.
- 14. Amendment of Schedule III.
- 15. No refund of tax collected.
- 16. Amendment of section 37 of the Act No. 33 of 2025.

Bill No. 11 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (2nd AMENDMENT) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

Α

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2nd Amendment) Act, 2025.

- (2) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh, appoint.
- **2. Amendment of section 2.**—In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in section 2,—
 - (i) in clause (61), after the word and figure "section 9", the words, signs and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017" (13 of 2017) shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 2025;
 - (ii) in clause (69),—
 - (a) in sub-clause (c), after the words "management of a municipal", the word "fund" shall be inserted; and
 - (b) after sub-clause (c), the following *Explanation* shall be inserted, namely:—
 "Explanation.—For the purposes of this sub-clause—
 - (a) "local fund" means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Panchayat area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called; and
 - (b) "municipal fund" means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Municipal area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called."; and
 - (iii) after clause (116), the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(116A) "unique identification marking" means the unique identification marking referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 148A and includes a digital stamp, digital mark or any other similar marking, which is unique, secure and non-removable.".
- **3. Amendment of section 12.**—In section 12 of the principal Act, sub-section (4) shall be omitted.
- **4. Amendment of section 13.**—In section 13 of the principal Act, sub-section (4) shall be omitted.
- **5. Amendment of section 17.**—In section 17 of the principal Act, in sub-section (5), in clause (d),—

- (i) for the words "plant or machinery", the words "plant and machinery" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017;
- (ii) the *Explanation* shall be numbered as *Explanation* 1 thereof, and after *Explanation* 1 as so numbered, the following *Explanation* shall be inserted, namely:—
 - "Explanation 2.—For the purposes of clause (d), it is hereby clarified that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal, or other authority, any reference to "plant or machinery" shall be construed and shall always be deemed to have been construed as a reference to "plant and machinery.".
- **6. Amendment of section 20.**—In section 20 of the principal Act, with effect from the 1st day of April, 2025,—
 - (i) in sub-section (1), after the word and figure "section 9", the words, signs and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017" (13 of 2017) shall be deemed to have been inserted;
 - (ii) in sub-section (2), after the word and figure "section 9", the words, signs and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017," (13 of 2017) shall be deemed to have been inserted.
- **7. Amendment of section 34.**—In section 34 of the principal Act, in sub-section (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the—

- (i) input tax credit as is attributable to such a credit note, if availed, has not been reversed by the recipient, where such recipient is a registered person; or
- (ii) incidence of tax on such supply has been passed on to any other person, in other cases.".
- **8. Amendment of section 38.**—In section 38 of the principal Act,—
 - (i) in sub-section (1), for the words "an auto-generated statement", the words "a statement" shall be substituted;
 - (ii) in sub-section (2),—
 - (a) for the words "auto-generated statement under", the words "statement referred in" shall be substituted;
 - (b) in clause (a), the word "and" shall be omitted;
 - (c) in clause (b), after the words and sign "by the recipient,", the word "including" shall be inserted;

- (d) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(c) such other details as may be prescribed.".
- **9. Amendment of section 39.**—In section 39 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "and within such time", the words and sign "within such time, and subject to such conditions and restrictions" shall be substituted.
- **10. Amendment of section 107.**—In section 107 of the principal Act, in sub-section (6), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—
 - "Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent of the said penalty has been paid by the appellant.".
- 11. Amendment of section 112.—In section 112 of the principal Act, in the end of subsection (8), for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:—
 - "Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent of the said penalty, in addition to the amount payable under the proviso to sub-section (6) of section 107 has been paid by the appellant."
- **12. Insertion of section 122B.**—After section 122A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—
 - "122B. Penalty for failure to comply with track and trace mechanism.— Notwithstanding anything contained in this Act, where any person referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 148A acts in contravention of the provisions of the said section, he shall, in addition to any penalty under Chapter XV or the provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees or ten per cent of the tax payable on such goods, whichever is higher."
- **13. Insertion of section 148A.**—After section 148 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—
 - **"148A. Track and trace mechanism for certain goods.—**(1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify,—
 - (a) the goods;
 - (b) persons or class of persons who are in possession or deal with such goods, to which the provisions of this section shall apply.
 - (2) The Government may, in respect of the goods referred to in clause (a) of sub-section (1),—
 - (a) provide a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information contained therein, through such persons, as may be prescribed; and

- (b) prescribe the unique identification marking for such goods, including the information to be recorded therein.
- (3) The persons referred to in sub-section (1), shall,—
 - (a) affix on the said goods or packages thereof, a unique identification marking, containing such information and in such manner;
 - (b) furnish such information and details within such time and maintain such records or documents, in such form and manner:
 - (c) furnish details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods, including the identification, capacity, duration of operation and such other details or information, within such time and in such form and manner;
 - (d) pay such amount in relation to the system referred to in sub-section (2), as may be prescribed.".

14. Amendment of Schedule III.—In Schedule III of the principal Act,—

- (i) in paragraph 8, after clause (a), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—
 - "(aa) Supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area;";
- (ii) in *Explanation* 2, after the words "For the purposes of", the words, signs and letter "clause (a) of" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1stday of July, 2017;
- (iii) after *Explanation* 2, the following *Explanation* shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—
- "Explanation 3.—For the purposes of clause (aa) of paragraph 8, the expressions "Special Economic Zone", "Free Trade Warehousing Zone" and "Domestic Tariff Area" shall have the same meanings respectively as assigned to them in section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).".
- **15. No. refund of tax collected.**—No refund shall be made of all such taxes which have been collected, but which would not have been so collected, had section 14 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2nd Amendment) Act, 2025 been in force at all material times.
- **16. Amendment of section 37 of the Act No. 33 of 2025.**—In section 37 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025 (33 of 2025) for the word and figure "section 114", the word, signs and figure "section 6 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025" shall be substituted.

The Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted on the analogy of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 to make provision for levying and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State of Himachal Pradesh and matters connected therewith or incidental thereto. The Goods and Services Tax Act is a landmark tax reform with first of its kind, one nation, one tax approach, aimed at subsuming almost all indirect taxes at the Central and State Level. The Central Government has already carried out amendments in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 on the recommendations of the Goods and Services Tax Council (GST Council). Therefore, in order to have a uniform threshold across the Country, it is mandatory for all the State Governments to carry out corresponding amendments in the State Act. Hence, it has become expedient to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 in order to have uniformity across the Country.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

	(SUKHVINDER SINGH SUKHU) Chief Minister.
SHIMLA: THE, 2025	

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-